बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(पुरातत्व निदेशालय)

अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना

पुरातत्व निदेशालय (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) अंतर्गत पुरातात्विक अन्वेषण, उत्खनन, सर्वेक्षण एवं कार्यालय प्रयोजन के लिए भाड़े पर कुल तीन (03) वाहन लिये जाने के लिए अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा निम्न शर्त्तो के अधीन होगी :–

1. वाहन एस.यू.भी. अर्थात बोलेरो/टाटा सूमो/टाटा विक्टा/स्कार्पियों, आदि प्रकार का गैर वातानुकूलित होगा। निविदादाता को वाहन भाड़ा प्रतिमाह की दर से देना होगा। ईंधन, चालक तथा मरम्मति अन्य कोई खर्च विभाग के द्वारा देय नहीं होगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक को दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आनुपातिक रूप से देय राशि की कटौती कर ली जायेगी।
2. वाहन चालक के पास वाहन चलाने का अद्यतन/नवीकृत व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना अनिवार्य होगा तथा इसकी छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. वाहन का निबंधन वर्ष 2013 के बाद का हो। वाहन व्यवसायिक रूप से निबंधित होना चाहिए तथा प्रत्येक वाहन के निबंधन–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा के साथ अद्यतन पथकर भुगतान का प्रमाण–पत्र, परमिट, दूरस्ती प्रमाण–पत्र (fitness Certificate) एवं प्रदूषण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा के साथ जमानत के रूप में निदेशक, पुरातत्व, बिहार के पदनाम से ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसे निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में वापस लौटा दिया जायेगा।
6. निविदा के साथ आयकर पैन नंबर की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
7. संबंधित संस्था/निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं है।
8. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में निदेशक, पुरातत्व, बिहार, कमरा संख्या–329, तीसरा तल्ला, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015 के पते पर भेजना होगा जो दिनांक 10 जुलाई ,2017 अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त हो जाय। उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे विभागीय क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
9. वित्तीय निविदा निम्नलिखित प्रपत्र में दी जायेगी:–

वाहन का प्रकार	गैर वातानुकूलित	वाहन का भाड़ा प्रतिमाह ईंधन चालक एवं सभी प्रकार के कर सहित (2000 किलोमीटर) तक	प्रति लीटर औसत अधिकतम माईलेज गैर वातानुकूलित का	अभियुक्ति
1	2	3	4	5

10. 2000 किलोमीटर प्रतिमाह तक ईंधन की आपूर्ति वाहन मालिक/आपूर्त्तिकर्त्ता को करना होगा। इसके अतिरिक्त वाहन चलने पर अतिरिक्त ईंधन/ईंधन का मूल्य पुरातत्व निदेशालय (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग) द्वारा दिया जायेगा।
11. वाहन भाड़े का भुगतान संधारित लॉग बुक तथा वाहन के लगे मीटर में दर्ज किलोमीटर के आधार पर किया जायेगा।
12. सफल निविदादाता के द्वारा यदि निर्धारित समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इसी दर पर अन्य निविदादाताओं/संस्था के वाहन प्राप्त किया जा सकेगा।

13. इस निर्धारित दर का उपयोग विभाग द्वारा अन्य प्रयोजनो पर लिए जाने वाले वाहनो पर भी किया जा सकता है तथा अन्य प्रतिष्ठान / व्यक्तियों से भी आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित दर पर वाहन लिया जा सकेगा।

14. काली सूची में दर्ज प्रतिष्ठान का निविदा स्वीकृति नहीं किया जायेगा।

15. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अथवा कार्य को एक से अधिक निविदादाताओं के बीच विभाजित करने का विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

ह0 / –
(अतुल कुमार वर्मा)
निदेशक, पुरातत्व बिहार

ज्ञाप सं0–5पुरा / क्र.1–02 / 12............... / पटना दिनांक .... / 2017

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को आठ प्रति एक सी.डी. सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(अतुल कुमार वर्मा)
निदेशक, पुरातत्व बिहार

ज्ञाप सं0–5पुरा / क्र.1–02 / 12 246 / पटना दिनांक 27/06 / 2017

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना / विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.6.17

(अतुल कुमार वर्मा)
निदेशक, पुरातत्व बिहार